अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए की जाती है। पीएसयू में राज्य सरकार की कम्पनियाँ, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। यह अध्याय पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण, पीएसयू के निवल मूल्य का क्षरण और विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के बकाया को प्रस्तुत करता है।

5.1.1 सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[36] को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के तहत स्थापित किए गए थे।

5.1.2 लेखापरीक्षा के अधिदेश

सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं एवं उन तरीकों पर निर्देश देते हैं जिनसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

[36] कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनियाँ (कठिनाइयों को दूर करना), सातवाँ आदेश 2014।

5.1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप एवं अध्याय में इनकी व्याप्ति

31 मार्च 2022 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम[37]), 42 अकार्यरत पीएसयू[38] सहित थे। कोई भी राज्य पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं थे।

31 मार्च 2022 को, 42 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति को **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तलिका 5.1: अकार्यरत पीएसयू की स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	पीएसयू
1	सरकार/निदेशक मंडल द्वारा संचालन को बंद करने के लिए निर्गत आदेश/निर्देश (परिसमापन प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है)	29
2	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापनकर्ता नियुक्त)	11
3	स्वैच्छिक समापन (सरकार द्वारा परिसमापनकर्ता नियुक्त)	2

इस प्रकार, 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 13 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) परिसमापन के अधीन है जबकि अवशेष 29 अकार्यरत पीएसयू जून 1990 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपना संचालन बंद कर चुकी है।

5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2022 को 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और छः सांविधिक निगम) में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य[39] द्वारा निवेशित पूंजी को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है:

[37] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[38] अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपना संचालन करना बन्द कर दिया है।

[39] 'अन्य' में स्वामित्व कम्पनी, वित्तीय संस्थान एवं बैंकों इत्यादि द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

चार्ट 5.1: सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों और सांविधिक निगमों में निवेश की संरचना

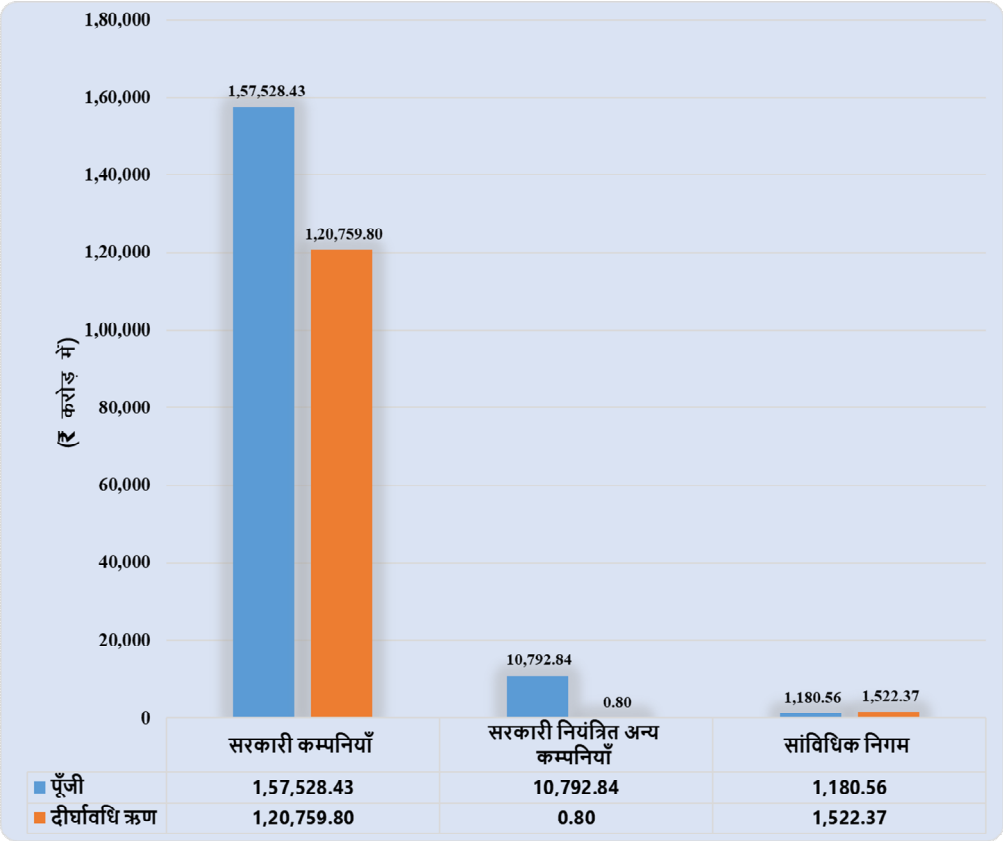

31 मार्च 2022, को 114 राज्य पीएसयू में क्षेत्र–वार निवेश (पूंजी और दीर्घावधि ऋण) का सारांश **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र–वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूंजी				दीर्घावधि ऋण				
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
पीएसयू जिन्होंने अपने लेखे 2019–20 तक अथवा उसके पश्चात् प्रस्तुत किये (परिशिष्ट–5.1)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	11	1,45,389.99	0.00	2,213.43	1,47,603.42	433.92	0.00	1,04,361.55	1,04,795.47	2,52,398.89
ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू	26	6,994.10	3,144.42	6,501.26	16,639.78	2,582.62	7,582.83	1,528.85	11,694.30	28,334.08
इस अध्याय में सम्मिलित कुल पीएसयू का योग	**37**	**1,52,384.09**	**3,144.42**	**8,714.69**	**1,64,243.20**	**3,016.54**	**7,582.83**	**1,05,890.40**	**1,16,489.77**	**2,80,732.97**
पीएसयू जिनके लेखे 31 मार्च 2022 को तीन वर्ष से बकाया अथवा अधिक अथवा निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे (परिशिष्ट–5.2)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूंजी				दीर्घावधि ऋण				
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू	75	3,970.81	605.99	679.56	5,256.36	2,582.20	12.27	3,198.73	5,793.20	11,049.56
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयू का योग	77	**3,970.81**	**605.99**	**681.83**	**5,258.63**	**2,582.20**	**12.27**	**3,198.73**	**5,793.20**	**11,051.83**
महायोग	**114**	**1,56,354.90**	**3,750.41**	**9,396.52**	**1,69,501.83**	**5,598.74**	**7595.10**	**1,09,089.13**	**1,22,282.97**	**2,91,784.80**

स्रोतः वार्षिक लेखों एवं पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

31 मार्च 2022 को, 114 पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,91,784.80 करोड़ था। इनमें से, राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,61,953.64 करोड़ था जिसमें ₹ 1,56,354.90 करोड़ की पूंजी के रूप में और ₹ 5,598.74 करोड़ का दीर्घावधि ऋण के रूप में था। राज्य सरकार की पूंजी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 1,45,389.99 करोड़ एवं ₹ 10,964.91 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घावधि ऋण अग्रिम ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 433.92 करोड़ एवं ₹ 5,164.82 करोड़ थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.1 और 5.2*** में दिया गया है।

5.2.1 अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश

31 मार्च 2022 को, 42 राज्य पीएसयू (40 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) अकार्यरत थी जिसमें राज्य सरकार का पूंजी के रूप में (₹ 370.53 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 383.44 करोड़) कुल निवेश ₹ 753.97 करोड़ था। इनमें से, महत्वपूर्ण निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 289.15 करोड़), उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 193.05 करोड़) और उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.03 करोड़) में था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है।

5.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षो के लिए पीएसयू के सम्बन्ध में बजटीय सहायता (पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता का विवरण

बजटीय सहायता का स्वरूप	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
अंश पूंजी (i)	3[40]	8,248.83	3[40]	10,568.47	3[40]	10,874.05

[40] उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु पूंजी अवमुक्त करती है। अतः पूंजी के निवेश के उद्देश्य से, केवल स्वामित्व धारक कम्पनियों पर उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से विचार किया गया है।

बजटीय सहायता का स्वरूप	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)
ऋण (ii)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	19,065.56	2	10,349.30	2	22,432.27
योग (i+ii+iii)	**3**[41]	**27,314.39**	**3**[41]	**20,917.77**	**3**[41]	**33,306.32**
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू						
अंश पूंजी (i)	4[40]	288.63	7[40]	529.13	8[40]	808.92
ऋण (ii)	8	403.32	6	1,673.16	5	330.01
अनुदान/सब्सिडी (iii)	17	712.21	18	1,462.46	19	2498.09
योग (i+ii+iii)	**27**[41]	**1,404.16**	**25**[41]	**3,664.75**	**26**[41]	**3,637.02**

स्रोत: वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेशों और पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित संकलित आँकड़े

74 पीएसयू के सम्बन्ध में जिन्होंने सितम्बर 2022 तक उपयुक्त सूचनांए प्रदान की, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष को विगत तीन वर्षो के लिए पूंजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के सापेक्ष बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण **चार्ट 5.2** में दिया गया है।

चार्ट 5.2: पूंजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के सापेक्ष बजटीय सहायता

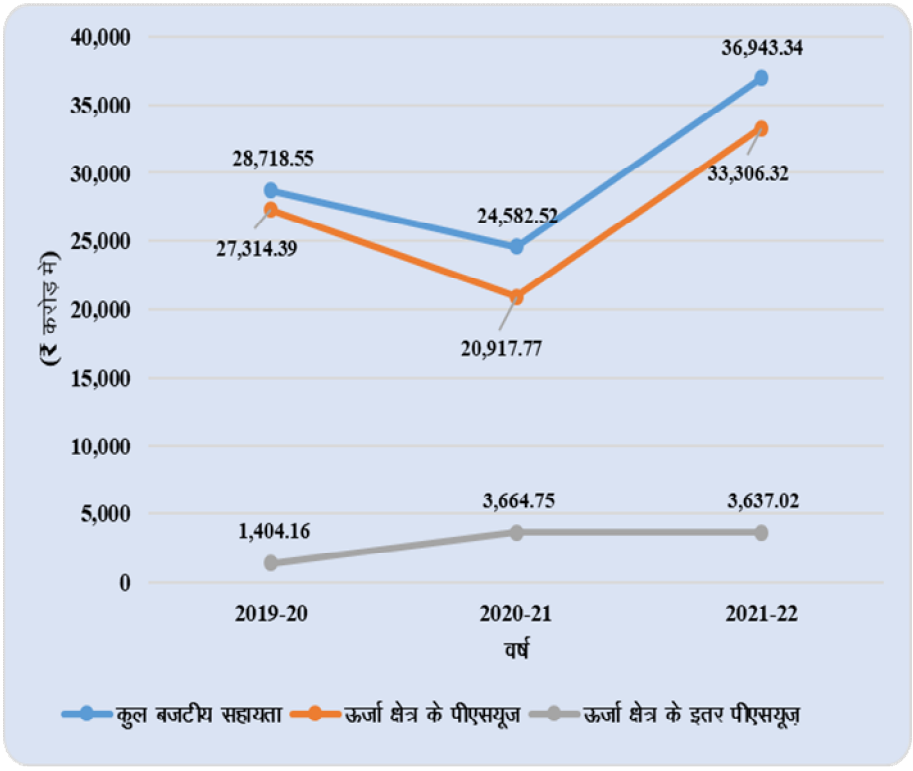

2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता में ₹ 12,360.82 करोड़ की वृद्धि हुई थी जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड की राजस्व सब्सिडी में 2020–21 में ₹ 9,657.17 करोड़ से 2021–22 में ₹ 21,888.16 करोड़ के कारण थी।

[41] यह आंकड़ा उन पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार से बजटीय सहायता एक या अधिक मदों/शीर्षों से राशि प्राप्त की है अर्थात् पूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि बजटीय सहायता का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को दिया गया था। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में क्रमशः ₹ 27,314.39 करोड़, ₹ 20,917.77 करोड़ और ₹ 33,306.32 करोड़ थी। 2021–22 के दौरान प्राप्त ₹ 33,306.32 करोड़ की बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 10,874.05 करोड़ पूंजी के रूप में और ₹ 22,432.27 करोड़ अनुदान/सब्सिडी शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को दिए गए ₹ 22,432.27 करोड़ के कुल अनुदान/सब्सिडी में से ₹ 22,395.45 करोड़ उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड इसकी वितरण कम्पनियों सहित और ₹ 36.82 करोड़ उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था।

2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू को दिए गए ₹ 2,498.09 करोड़ के कुल अनुदान/सब्सिडी में से, अनुदान/सब्सिडी 2021–22 के दौरान मुख्य रूप के आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 782.50 करोड़), उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 322.84 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 320.65 करोड़) को दिया गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने ₹ 808.92 करोड़ पूंजी में निवेशित किया और ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू को ऋण के सापेक्ष ₹ 330.01 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड की ₹ 31.91 करोड़ की पूंजी तथा ₹ 2.03 करोड़ के ऋण जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड को (₹ 1.76 करोड़) और उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 0.27 करोड़) शामिल था, जो कि अकार्यरत थे तथा अपना संचालन बन्द कर दिया था।

5.2.3 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते है तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2022 को 74 पीएसयू (57 सरकारी कम्पनियाँ, 12 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और पाँच सांविधिक निगम) के सम्बन्ध में ऐसे अंतर विद्यमान थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.3*** में है एवं **तालिका 5.4** में संक्षेपित है।

तालिका 5.4: राज्य पीएसयू के अभिलेखों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

अदत्त के सम्बन्ध में	क्षेत्र	वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि	राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अंतर	
				धनराशि	प्रतिशत
पूंजी	ऊर्जा क्षेत्र	1,32,877.22	1,47,605.28	14,728.06	11.08
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	6,108.80	10,910.65	4,801.85	78.61
	योग	**1,38,986.02**	**1,58,515.93**	**19,529.91**	**14.05**
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	516.82	433.92	(-)82.90	(-) 16.04
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	3,474.41	5,164.81	1,690.40	48.65
	योग	**3,991.23**	**5,598.73**	**1,607.50**	**40.28**
प्रत्याभूतियाँ	ऊर्जा क्षेत्र	1,29,374.07	1,21,555.08	(-)7,818.99	(-) 6.04
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	634.47	389.84	(-)244.63	(-) 38.56
	योग	**1,30,008.54**	**1,21,944.92**	**(-)8,063.62**	**(-) 6.20**

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त सूचनाएं, पीएसयू के वार्षिक लेखाओं और वित्त लेखे 2021–22

आंकड़ो के बीच अंतर सतत् विद्यमान है और विगत वर्ष राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया था। तीन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू[42] और पाँच ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू[43] के मामलों में शेष राशियों में बड़ा अंतर देखा गया था।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन को इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना होता है। इसके तैयार होने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उक्त पर टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों की प्रति को विधायिका के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह प्रणाली राज्य की संचित निधि से कम्पनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक एजीएम और उसकी अगली तिथि के मध्य 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 तय करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त एजीएम में उनके विचार हेतु प्रस्तुत करना होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7)में यह प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कम्पनी के व्यक्तियों, उत्तरदायी निदेशकों सहित पर दण्ड के आरोपण जैसे अर्थदण्ड और कारावास जैसे दण्ड का प्रावधान करती है।

लेखाओं को तैयार करने में पीएसयू द्वारा अनुसरण की गई समयबद्धता की स्थिति इस प्रकार है :

5.3.2 पीएसयू द्वारा लेखों के तैयार करने में समयबद्धता

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। राज्य पीएसयू द्वारा 30 सितम्बर 2022 तक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया के विवरण ***परिशिष्ट 5.4*** में दिखाया गया है और **तालिका 5.5** में संक्षेपित है।

[42] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड।

[43] उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

तालिका 5.5: पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित स्थिति

विवरण		लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित स्थिति			
		सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31 मार्च 2022 को सीएजी के लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पीएसयू की कुल संख्या (परिसमापन के अंतर्गत 13 पीएसयू शामिल करते हुए)		93	15	06	114
पीएसयू की संख्या जिन्होंने सीएजी के लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2022 तक 2021–22 के लेखे प्रस्तुत किये		10	01	-	11
पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया थे (परिसमापन के अंतर्गत 11 पीएसयू के बकाया लेखे को शामिल करते हुए)		81[44]	14	06	101
बकाया लेखों की संख्या		929	55	22	1006
बकाये का विवरण	(i) अकार्यरत पीएसयू (परिसमापन के अंतर्गत)	112	08	-	120
	(ii) अकार्यरत पीएसयू (परिसमापन के अंतर्गत को छोड़कर)	551	27	-	578
	(iii) कार्यरत पीएसयू	266	20	22	308

72 कार्यरत राज्य पीएसयू में से, केवल 11 पीएसयू ने वर्ष 2021–22 के लिए अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये तथा शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 40 पीएसयू के 698 लेखे बकाया थे।

5.3.2.1 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया

- 53 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल 10 पीएसयू[45] ने सीएजी से लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप, 43 कार्यरत पीएसयू के 266 लेखे बकाया थे।
- 13 कार्यरत सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से केवल एक पीएसयू अर्थात् आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सीएजी से लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप 12 कार्यरत पीएसयू के 20 लेखे बकाया थे।
- किसी भी सांविधिक निगम ने सीएजी से लेखा परीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये। छः सांविधिक निगमों (सभी कार्यरत पीएसयू) में से चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क

[44] इसमें दो पीएसयू, जिनके नाम उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश (रूहेलखंड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर, जो परिसमापन के अधीन हैं, जिनके परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखे बकाया नहीं थे।

[45] दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। इन चार सांविधिक निगमों के 30 सितम्बर 2022 को नौ लेखे[46] बकाया थे। अन्य दो सांविधिक निगमों के मामले में 2013–14 से (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम) और 2018–19 से (उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम) बकाया थे।

- पाँच[47] कार्यरत पीएसयू ने अपने निगमन के बाद लेखापरीक्षा के लिए अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। इन पीएसयू के 53 लेखे बकाया थे।

कार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: कार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण

		बकाया लेखों का आयु–वार विश्लेषण			योग
		1-3 वर्ष	4-6 वर्ष	7 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाया लेखाओं वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	सरकारी कम्पनियाँ	17	11	15	43
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	1	-	12
	सांविधिक निगम	3	2	1	6
	योग	31	14	16	61
बकाया लेखाओं की संख्या	सरकारी कम्पनियाँ	31	51	184	266
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	16	4	0	20
	सांविधिक निगम	4	9	9	22
	योग	51	64	193	308

5.3.2.2 अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया

42 अकार्यरत पीएसयू (13 पीएसयू परिसमापन के अंतर्गत को शामिल करते हुए) में से 40 अकार्यरत पीएसयू (38 सरकारी कम्पनियों और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों) के 698 लेखे 30 सितम्बर 2022 को बकाया थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.4*** में दिया गया है। इन पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण **तालिका 5.7** में दिया गया है।

---

46 लेखे (i) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्ष 2020–21 एवं 2021– 22 के लिए (ii) उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् वर्ष 2021–22 के लिए, (iii) उत्तर प्रदेश जल निगम वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए और (iv) उत्तर प्रदेश वन निगम वर्ष 2021– 22 के लिए।

47 लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा–मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड।

तालिका 5.7: अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण

		बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण				योग
		1-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-20 वर्ष	21 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाया लेखाओं वाले अकार्यरत पीएसयू की संख्या	परिसमापन के अंतर्गत	4	1	5	1	11
	अन्य	6	3	5	15	29
	योग	10	4	10	16	40
बकाया लेखाओं की संख्या	परिसमापन के अंतर्गत पीएसयू	9	8	74	29	120
	अन्य अकार्यरत पीएसयू	16	22	67	473	578
	योग	25	30	141	502	698

5.3.2.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ कपट एवं सार्वजनिक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणित हो सकता है। लेखाओं के बकाया की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान वहन हानि/अर्जित लाभ को सम्मिलित करते हुए, इन 101 पीएसयू[48] के वास्तविक निष्पादन एवं राज्य के जीडीपी में योगदान को आंकलित/राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को अन्तिमीकरण किये जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं तथा निधियों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित प्रयोजन के लिए किया गया था। ऐसे सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में जहाँ प्रमाणन का सम्पूर्ण दायित्व एकल अंकेक्षक के रूप में सीएजी पर है, यह प्रकरण बड़ी चिन्ता का विषय है।

5.3.2.4 लंबित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश

राज्य सरकार द्वारा किये गए निवेश का पीएसयू–वार विवरण जिनके लेखे वर्षों के दौरान बकाया थे ***परिशिष्ट 5.5*** में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ऊर्जा क्षेत्र की छः पीएसयू में से केवल एक (अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) को ₹ 2,035.05 करोड़ (अंश पूंजीः ₹ 2,035.05 करोड़, ऋणः शून्य अनुदानः शून्य और सब्सिडीः शून्य) प्रदान किये थे जिसके लेखे वर्ष 2021–22 तक के 30 सितम्बर 2022 तक अन्तिमीकृत नहीं किया गया था। जबकि ऊर्जा क्षेत्र के शेष पाँच पीएसयू के लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। अग्रेतर, जीओयूपी ने 95 ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में से 37 को ₹ 6,575.47 करोड़ (अंश पूंजीः ₹ 1,432.02 करोड़, ऋण : ₹ 1,187.47, अनुदान : ₹ 3,542.47 करोड़ और सब्सिडीः ₹ 413.51 करोड़) भी प्रदान किये थे, जिसके लेखे वर्ष 2021–22 तक के 30 सितम्बर 2022 तक अन्तिमीकृत नहीं किये गए थे जबकि ऊर्जा क्षेत्र के इतर शेष 58 पीएसयू में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

[48] छः ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू और 95 ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू।

इन पीएसयू की गतिविधियों की निगरानी करने एवं इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिए जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बन्धित विभागों को बकाया लेखाओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य से तात्पर्य प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानि एवं अस्थगित राजस्व व्यय को घटाने से है। अनिवार्य रूप से यह एक उपाय (माप) है कि स्वामियों के लिये एक इकाई (उपक्रम) का क्या मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों के सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं अस्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

12 पीएसयू में सरकार की प्रदत्त पूंजी, संचित हानियों, निवल मूल्य और निवेश को **तालिका 5.8** इंगित करती है जिनका निवल मूल्य उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 30 सितम्बर 2022 तक क्षरण हो चुका है।

तालिका 5.8: पीएसयू जिनका निवल मूल्य क्षरण हो चुका है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का अद्यतन वर्ष	ब्याज, कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	कुल प्रदत्त पूंजी अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार	मुक्त संचय	संचित हानियां अस्थगित राजस्व व्यय[49] शामिल करते हुए	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की अंश पूंजी	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार का ऋण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5+6-7)	(9)	(10)
अ	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**								
1	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	(-) 2,957.52	22,436.61	1,953.42	24,956.84	(-)566.81	22,436.61	132.04
2	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2021-22	(-) 215.45	2,249.31	0.00	4,179.46	(-)1,930.15	2,249.31	0.00
3	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	(-)8,305.27	1,12,212.39	0.00	81,877.77	(-) 60,000.85[50]	112212.39	369.27
4	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2020-21	(-)0.21	0.16	(-)2.39	0.00	(-)2.23	0.16	0.00
5	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2013-14	(-)0.02	0.05	0.00	0.25	(-)0.20	0.00	0.00
	योग अ		**(-) 11,478.47**	**1,36,898.52**	**1,951.03**	**1,11,014.32**	**(-) 62,500.24**	**1,36,898.47**	**501.31**

[49] अस्थगित राजस्व व्यय का मूल्य सभी पीएसयू में शून्य है जिनका निवल मूल्य क्षरण हो चुका है।

[50] ₹ 1,12,212.39 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में ₹ 90,335.47 करोड़ शामिल है जिसे सरकार द्वारा उनकी सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम कम्पनियों के लिए दिया गया था। इसलिए, इस धनराशि को निवल मूल्य की गणना से बाहर रखा गया है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का अद्यतन वर्ष	ब्याज, कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	कुल प्रदत्त पूंजी अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार	मुक्त संचय	संचित हानियां अस्थगित राजस्व व्यय[49] शामिल करते हुए	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की अंश पूंजी	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार का ऋण
ब	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**								
1	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2019-20	(-) 1.56	135.58	0.00	381.05	(-) 245.47	110.58	1,134.43
2	प्रयागराज सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	(-) 10.90	4.91	0.00	16.48	(-) 11.57	0.00	0.00
3	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	(-) 11.35	2.00	0.00	13.66	(-)11.66	1.00	0.00
4	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	(-) 0.26	0.50	0.00	0.62	(-) 0.12	245.00	0.00
5	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	(-) 8.19	0.50	0.00	8.17	(-) 7.67	50.25	0.00
6	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2019-20	1.61	0.01	0.00	2.75	(-) 2.74	2,807.20	0.00
7	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	(-) 3.60	0.50	0.00	6.29	(-) 5.79	186.00	0.00
	योग ब		**(-) 34.25**	**144.00**	**0.00**	**429.02**	**(-) 285.02**	**3,400.03**	**1,134.43**
	महायोग (अ+ब)		**(-) 11,512.72**	**1,37,042.52**	**1,951.03**	**1,11,443.34**	**(-) 62,785.26**	**1,40,298.50**	**1,635.74**

पाँच ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानियों से पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था और 31 मार्च 2022 को उनका निवल मूल्य ₹ 1,36,898.52 करोड़ के अंश पूंजी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 62,500.24 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को इन पीएसयू में राज्य सरकार की अंश पूंजी और ऋण क्रमशः ₹ 1,36,898.47 करोड़ और ₹ 501.31 करोड़ थे। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ये सभी पाँच पीएसयू हानियों में थे।

अग्रेतर, सात ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानियों से पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था और 31 मार्च 2022 को उनका निवल मूल्य ₹ 144.00 करोड़ के अंश पूंजी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 285.02 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को इन पीएसयू में राज्य सरकार की अंश पूंजी और ऋण क्रमशः ₹ 3,400.03 करोड़ और ₹ 1,134.43 करोड़ थे। सात पीएसयू जिनका निवल मूल्य क्षरण हो चुका था, में से एक पीएसयू अर्थात् नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1.61 करोड़ का लाभ कमाया था जबकि शेष छः पीएसयू हानि में थे।

5.5 उर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के बकाया

राज्य में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) अपने पाँच डिस्कॉम (मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड) की ओर से केंद्र/राज्य उर्जा उत्पादन कम्पनियों, विद्युत पारेषण कम्पनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, कैपटिव उर्जा प्लांट (रिएक्टिव एनर्जी) और गैर–अनुसूचित आन्तरिक–परिवर्तन (यू आई) से विद्युत खरीद करता है।

यूपीपीसीएल और इसके डिस्कॉम द्वारा प्रदान किये गए लागत विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित और निर्गत टैरिफ आदेश में निर्धारित दरों पर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करते हैं। सरकार लागत और टैरिफ आदेश में निर्धारित दरों के मध्य अन्तरों को समाप्त करने के लिए डोमेस्टिक लाइफलाइन, ग्रामीण अनुसूची (अन–मीटर्ड), ग्रामीण अनुसूची (मीटर्ड) गरीबी रेखा से नीचे के इतर (बीपीएल), निजी नलकूपों/पम्पिंग सेट इत्यादि की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के सापेक्ष सब्सिडी प्रदान करती है। राज्य सरकार के आदेशानुसार (मार्च 2021) टैरिफ सब्सिडी के भुगतान हेतु राज्य सरकार के अदत्त दायित्व 31 मार्च 2020 को ₹ 14,661.54 करोड़ था।

डिस्कॉम वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार कोषों पर ब्याज के भुगतान और अशोध्य ऋण के कारण भारी हानियों में चल रहे थे। डिस्कॉम के वित्तीय बदलाव के लिए, उज्जवल डिस्काम एशोरेंस योजना (उदय योजना) के अंतर्गत डिस्कॉम की ओर से विद्युत मंत्रालय (जीओआई), उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक एमओयू निष्पादित किया गया था (जनवरी 2016)। एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2015–16 और 2016–17 के दौरान ₹ 44,403 करोड़ के डिस्काम के बकाया ऋण को ले लिया था। अग्रेतर राज्य सरकार ने 2017–18 से 2020–21 के दौरान श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की भावी हानियों का उत्तरदायित्व भी लिया था जैसा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार (मार्च 2021), हानि की प्रतिपूर्ति सब्सिडी हेतु राज्य सरकार पर अदत्त दायित्व ₹ 6,278.47 करोड़[51] था।

राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को निर्देशित किया (जुलाई 2020) कि कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के लिए कोषों की उपलब्धता के लिए यूपीपीसीएल ₹ 20,940 करोड़ तक ऋण लेगा (अर्थात् राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल[52] को देय बकाया सब्सिडी) और राज्य सरकार इस ऋण का पुनर्भुगतान 2021–22 से प्रारम्भ करते हुए अगले 10 वर्षों में करेगी। वर्ष 2020–21 में यूपीपीसीएल ने विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण कम्पनी (आरईसी) प्रत्येक से ₹ 10,470 करोड़ का ऋण लिया। वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय संस्थानों से यूपीपीसीएल द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में से मूल धनराशि ₹ 2,000 करोड़ के भुगतान के लिए सहायता प्रदान की है।

डिस्कॉम में भारी हानियों और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के भुगतान में देरी के कारण, यूपीपीसीएल विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को अपने देयकों का भुगतान नहीं कर सका।

---

[51] उदय योजना (2016–17 से 2020–21) के अंतर्गत प्राप्य हानि प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी ₹ 12,049.49 करोड़ थी जिसके सापेक्ष ₹ 3,571.20 करोड़ 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत था और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बजट में ₹ 2,200 करोड़ का प्रावधान था।

[52] उदय योजना के अंतर्गत हानि प्रतिपूर्ति सब्सिडी (₹ 6,278.47 करोड़) प्लस टैरिफ सब्सिडी (₹ 14,661.54 करोड़)।

विगत तीन वर्षों के दौरान यूपीपीसीएल के विरूद्ध विद्युत आपूर्तिकर्ताओं की देय राशि का विस्तृत विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में यूपीपीसीएल के विरूद्ध बकाया देय

(₹ करोड़ में)

विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के नाम	31 मार्च 2020 को बकाया देय	31 मार्च 2021 को बकाया देय	31 मार्च 2022 को बकाया देय
केंद्र/राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियाँ	16,939.14	17,491.93	13,752.23
विद्युत पारेषण कम्पनियाँ	1584.62	525.83	249.39
स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता	13,102.50	7,561.55	9,519.95
कैप्टिव पॉवर प्लांट (रिएक्टिव एनर्जी)	14.65	11.30	19.67
गैर–अनुसूचित आन्तरिक परिवर्तन (यू आई)	503.50	412.75	176.62
योग	**32,144.41**	**26,003.36**	**23,717.86**

इस प्रकार, 31 मार्च 2020 को, यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत के क्रय के सापेक्ष विद्युत उत्पादन कम्पनियों का बकाया देय ₹ 32,144.41 करोड़ था जो कि 31 मार्च 2022 को घटकर ₹ 23,717.86 करोड़ था।

5.6 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से लगातार तैयार की जा रही है और राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

5.7 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2022 को, 114 पीएसयू में कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,91,784.80 करोड़ था। इनमें से राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,61,953.64 करोड़ था, अंश पूंजी के रूप में ₹ 1,56,354.90 करोड़ और ₹ 5,598.74 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में था। राज्य सरकार की अंश पूंजी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 1,45,389.99 करोड़ एवं ₹ 10,964.61 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घावधि ऋण अग्रिम ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 433.92 करोड़ एवं ₹ 5,164.82 करोड़ थी।
- 31 मार्च 2022 को, 42 राज्य पीएसयू (40 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) अकार्यरत थी जिसमें राज्य सरकार का पूंजी के रूप में (₹ 370.53 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 383.44 करोड़) कुल निवेश ₹ 753.97 करोड़ था। इनमें से, महत्वपूर्ण निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 289.15 करोड़), उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 193.05 करोड़) और उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.03 करोड़) में था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने दो अकार्यरत पीएसयू को ₹ 33.94 करोड़ की बजटीय सहायता दी जो अपना संचालन पहले ही बन्द कर चुके थे।
- 31 मार्च 2022, को राज्य पीएसयू के अभिलेखों और वित्त लेखाओं में उनके प्रकटन के अनुसार 74 पीएसयू के सम्बन्ध में अंश पूंजी, ऋण और प्रत्याभूतियों के आँकड़ों में अंतर विद्यमान थे। आंकड़ो के मध्य ये अंतर विगत कई वर्षों से निरंतर आ रहे हैं, यद्यपि मामले को विगत वर्ष एसएफएआर में प्रतिवेदित किया गया था।

- 72 कार्यरत पीएसयू में से, केवल 11 पीएसयू ने अपने लेखे वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तुत किये थे और शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में से 40 पीएसयू के 698 लेखे बकाया थे और शेष दो पीएसयू के परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखे बकाया नहीं थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 8,610.52 करोड़ (अंश पूंजी : ₹ 3,467.07 करोड़, ऋण : ₹ 1,187.47 करोड़, अनुदान : ₹ 3,542.47 करोड़ और सब्सिडी : ₹ 413.51 करोड़) 38 पीएसयू को प्रदान किये थे, जिस अवधि के दौरान उनके लेखे बकाया थे।
- 12 पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था। इन पीएसयू का ₹ 1,37,042.52 करोड़ के अंश पूंजी निवेश के सापेक्ष निवल मूल्य (-) ₹ 62,785.26 करोड़ था।

5.8 *संस्तुतियाँ*

- *राज्य सरकार 29 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा कर सकती है जो अपना संचालन बन्द कर चुके हैं और इन पीएसयू में सावधनीपूर्वक निवेश करें।*
- *उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे के अनुसार अंश पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ो में अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।*
- *प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के बकाया लेखों को समाप्त करने हेतु सख्ती से अनुश्रवण एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिए और पीएसयू के लेखों को तैयार करने में बाधाओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।*

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनांक 16 जून 2023

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 20 JUN 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक